

क्रमांक:-एफ()एफसीए/उवसं/2019-20/3050
निमित्त,

दिनांक:- 10/05/19

अधिशायी अभियंता,
टी एण्ड सी, आरवीपीएनएल,
शास्त्री नगर, अजमेर।

विषय:- Diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in Ajmer Forest Division and 0.91 ha. in Nagour Foret Division) Forest Land in favour of Excutive Engineer, RRVNLS Ajmer for Construction of 220 K/V D/C Ajmer-Bherunda Transmission Line in Ajmer & Nagur District.

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दि.28.06.2018 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर का पत्रांक एफ14(TRANSS)2017/एफसीए/प्रमुवसं/3631-33 दि.25.09.2018 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 678 दि.07.03.2019 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख हैं कि प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दि.28.06.2018 द्वारा 3.92 हैक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति शर्ताधीन प्रदान किये जाने पर मांग पत्र अनुसार राशि जमा कराई जा चुकी है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के पत्रांक एफ36(9)93/वसु/प्रमुवसं/4323 दिनांक 04.01.2019 से श्रमिक दरों में वृद्धि होने के कारण दरें 01.01.2018 से प्रभावी होने के कारण संशोधित दरों अनुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की अन्तर राशि ई चालान द्वारा अविलम्ब जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय को भिजवावे ताकि नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र.सं.	भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) लखनऊ का पत्रांक 8बी/राज/04/19/2018/एफसी/230 दि.28.06.2018 द्वारा जारी स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अन्तर राशि (रुपये में)
1	शर्त संख्या-2 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वनक्षेत्र के दुगने अवनत वनभूमि (3.92x2=7.84 ha.) अर्थात् 7.84 है0 पर क्षतिपूर्क वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जावेगी। $7.84 \times 136830 = 1072747-1011360 = 61387/-$	61387/-
2	शर्त संख्या 3 अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाईन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) कैम्पा नई दिल्ली में जमा की जाएगी। $3.01 \times 563444 = 1695966-1595300 = 100666/-$	100666/-
कुल योग-		162053/-

क्र.सं. 1 एवं 2 की अन्तर राशि 162053/- रुपये तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल OSMFWCP द्वारा सृजित ई चालान द्वारा जमा की जावेगी।

भवदीय,
Sw/10.04
(सुदीप कौर)
उप वन संरक्षक
अजमेर

क्रमांक :- सम./

दिनांक :-

- प्रतिलिपि अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल एफसीए, राजस्थान जयपुर को उनके सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित है।
- प्रतिलिपि मुख्य वन संरक्षक, अजमेर को सूचनार्थ प्रेषित है।
- प्रतिलिपि सहायक अभियंता, टी एण्ड सी, आरआरवीपीएनएल, ब्यावर को उनके पत्रांक 678 दि.07.03.19 के क्रम में।

ह
उप वन संरक्षक
अजमेर

राजस्थान सरकार

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडिङिंग के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dc.f.ngr. forest@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ ()तक/उत्सं/2019-20/ 1215

दिनांक : 15.04.19

निमित्त :

अधिसासी अभियन्ता(टी.एण्ड सी.),
राजस्थान विद्युत वितरण प्रसारण निगम लि.,
अजमेर, राजस्थान

Sub : diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in ajmer Forest division & 0.91 ha. in nagaur forest division) of forest land in favour of Executive Engineer Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Ltd., Ajmer for construction of 220 KV D/C Ajmer-Bherunda Transmission line in ajmer & nagaur district.

प्रसंग : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 230 दिनांक 28.06.2018 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 3631-33 दिनांक 25.09.2018 एवं आपका पत्रांक 678 दिनांक 07.03.2019 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति शतांशिन प्रदान किये जाने पर मांग पत्र अनुसार राशि जमा करायी जा चुकी है। वर्तमान में श्रमिक दरों में वृद्धि होने के कारण संशोधित दरों अनुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से अंतर राशि प्राप्त करने के निर्देश दिये जाने पर प्रकरण में निम्नानुसार अंतर राशि अविलम्ब जमा करावे ताकि प्रकरण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अंतर राशि (रुपये में)
1.	बिन्दु संख्या 3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जमा की जाएगी। 0.91x563444=512734-491419=21315/-	21315/-

क्र.सं. 1 की अंतर राशि 21315/- रुपये तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करवाई जावे।

आप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय

(मोहित गुप्ता)

उप वन संरक्षक,

नागौर

दिनांक :

क्रमांक : सम/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(FCA) राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
3. सहायक अभियन्ता, टी एण्ड सी. आरआरवीपीएनएल, ब्यावर।

(मोहित गुप्ता)

उप वन संरक्षक,

नागौर

कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-246175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ () तक/उवसं/2018-19/9164
निमित्त :

दिनांक : 28/12/18

अधिशाली अभियन्ता(टी.एण्ड सी.),
राजस्थान विद्युत वितरण प्रसारण निगम लि.,
अजमेर, राजस्थान

Sub : diversion of 3.92 ha. (3.01 ha. in ajmer Forest division & 0.91 ha. in nagaur forest division) of forest land in favour of Executive Engineer] Rajasthan Rajya Vidhyut Prasaran Nigam Ltd., Ajmer for construction of 220 KV D/C Ajmer-Bherunda Transmission line in ajmer & nagaur district.

प्रसंग : भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य) का पत्रांक 230 दिनांक 28.06.2018 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर का पत्रांक 3631-33 दिनांक 25.09.2018 के क्रम में।

महोदय,

विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र द्वारा वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक स्वीकृति शर्ताधीन प्रदान किये जाने पर मांग पत्र अनुसार राशि जमा करायी जा चुकी है। वर्तमान में श्रमिक दरों में वृद्धि होने के कारण संशोधित दरों अनुसार सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से अंतर राशि प्राप्त करने के निर्देश दिये जाने पर प्रकरण में निम्नानुसार अंतर राशि अविलम्ब जमा कराये ताकि प्रकरण नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

क्र. सं.	सैद्धांतिक स्वीकृति की शर्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा कराई जाने वाली अंतर राशि (रूपये में)
1.	बिन्दु संख्या 3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित विद्युत लाइन के नीचे बौने पौधों (मुख्यतः औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (प्रचलित दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) कैम्पा, नई दिल्ली में जका की जाएगी। 0.91X540021=491419-482300=9119/-	9119/-

क्र.सं. 1 की अंतर राशि 9119/- रुपये तदर्थ निकाय के वेब पोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करवाई जाये।

एप द्वारा प्रस्तुत पालना अग्रिम कार्यवाही हेतु उच्च कार्यालय को भिजवायी जा सके।

भवदीय

Mohit.

(मोहित गुप्ता)

उप वन संरक्षक,

नागौर

दिनांक : 28/12/2018

क्रमांक : सम/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी(FCA) राजस्थान, जयपुर।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।

SD

(मोहित गुप्ता)

उप वन संरक्षक,

नागौर